मध्य प्रदेश शासन
प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति
सचिवालय
कार्यालयः टैगोर छात्रावास क्रमाँक टी–2, श्यामला हिल, भोपाल–462002
दूरभाष एवं फैक्स : 0755–2660461, email:afrcmp@gmail.com, web site: www.afrcmp.org

दिनांक–24.05.2017

क्रमाक / सचि. / ओएसडी / 2017 / 701

प्रति,

अध्यक्ष / सचिव / संचालक / प्राचार्य,
(निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त व्यावसायिक शिक्षण संस्थाएं)
मध्यप्रदेश।

विषय– प्रदेश के निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं के आगामी ब्लॉक के अर्थात् सत्र 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 के शुल्क विनियमन के संबंध में।

संदर्भ– 1. इस सचिवालय का पत्र क्रमांक / सचि. / ओएसडी / 2017 / 670 दिनांक 11.05.2017.
2. इस सचिवालय का पत्र क्रमांक / सचि. / ओएसडी / 2017 / 610 दिनांक 26.04.2017.
3. इस सचिवालय का पत्र क्रमांक / सचि. / ओएसडी / 2017 / 487 दिनांक 24.03.2017.
4. इस सचिवालय का पत्र क्रमांक / सचि. / ओएसडी / 2017 / 426 दिनांक 09.03.2017.
5. इस सचिवालय का पत्र क्रमांक / सचि. / ओएसडी / 2017 / 293 दिनांक 20.02.2017.
6. इस सचिवालय का पत्र क्रमांक / सचि. / ओएसडी / 2017 / 212 दिनांक 02.02.2017.
7. इस सचिवालय का पत्र क्रमांक / सचि. / ओएसडी / 2017 / 189 दिनांक 30.01.2017.

***

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का कृपया अवलोकन करने कष्ट करें। मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम–2007 के तहत गठित प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, मध्यप्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, भोपाल द्वारा प्रकाशित राजपत्र दिनांक 15 अप्रैल, 2008 के विनियम की कंडिका 5 (1) में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप प्रदेश में स्थित निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त संस्थाओं के द्वारा संचालित एवं किसी नियामक / निकाय यथा एम.सी.आई., डी. सी.आई., एन.सी.आई., सी.सी.आई.एम. पी.सी.आई. ए.आई.सी.टी.ई., एवं एन.सी.टी.ई. द्वारा अनुमोदित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के आगामी तीन साल के ब्लाक अर्थात् **सत्र 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20** के शुल्क विनियमन के संबंध में ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से 18.02.2017 से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहे थे, आवेदन पत्र भरने एवं निर्धारित प्रोफार्मा अपलोड करने की अंतिम तिथि दिनांक 22.05.2017 थी। अपितु कुछ संस्थाओं के द्वारा संस्था में संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रम के शुल्क विनियमन से संबंधी प्रस्ताव भरने में रूचि नहीं ली जा रही हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा दिये गये निर्देशानुसार ऐसी संस्थाओं को **दिनांक 30.05.2017** तक ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन पत्र एवं निर्धारित प्रोफार्मा अपलोड करने एवं भरे हुये आवेदन पत्र एवं प्रोफार्मा के प्रिन्ट आउट प्राप्त कर **दिनांक 31.05.2017** तक समिति, सचिवालय में जमा करने का अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है।

उपरोक्त वर्णित तिथि तक संस्थाओं के द्वारा शुल्क विनियमन से संबंधी प्रस्ताव नहीं भरे जाने की स्थिति में ऐसी संस्थाओं की सूची संबंधित विभाग को उपलब्ध करा दी जावेगी। संबंधित विभाग द्वारा ऐसी संस्थाओं को प्रवेश दिये जाने हेतु आयोजित होने वाली काउसिंलिंग में सम्मिलित नहीं किये जाने पर उसकी समस्त जिम्मेदारी उक्त संस्था की होगी, तथा इन संस्थाओं पर एक्ट में दिये गये प्रावधानों के अनुसार भी कार्यवाही की जावेगी।

अन्य निर्देश उपरोक्त संदर्भित पत्रों के अनुसार यथावत रहेंगे।

(डॉ. आलोक चौबे)
सचिव / विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
दिनांक – 24.05.2017

पृ.क्रमांक / सचि. / ओएसडी / 2017 /

प्रतिलिपि–1. माननीय अध्यक्ष महोदय प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, भोपाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कार्यपालक निदेशक, क्रिस्प, भोपाल को इस टीप के साथ कि वे इस पत्र को समिति के बेव पोर्टल के होमपेज पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

(डॉ. आलोक चौबे)
सचिव / विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी